न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- **श्रीमान हिम्मत सिंह**(*RAS*)

अपील संख्या 1541/2025

1- प्रभुदयाल पुत्र स्व. श्री सुवा

2- श्रीमती रामप्यारी पुत्री स्व. श्री सुवा धर्मपत्नी स्व. श्री हनुमान सहाय

3- कैलाश पुत्र स्व. श्री सुवा

समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण

बनाम

1- श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसहाय

2- श्री मदनलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसहाय

3- श्री बालूराम शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसहाय

4- मु. शांति देवी बेवा स्व. श्री गोपी

5- कालू उर्फ कैलाश पुत्र स्व. श्री गोपी

समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

6- श्रीमती नाथी देवी पुत्री स्व० श्री गोपी धर्मपत्नी श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बाडा पदमपुरा, पोस्ट शिवदासपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

7- श्रीमती मूली देवी पुत्री स्व. श्री गोपी धर्मपत्नी श्री लालचन्द जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम मलवा, पोस्ट शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स / वादीगण

8- राधेश्याम

9- मदनलाल

पुत्रान स्व० श्री रामप्रताप, जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी 338, हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड, जयपुर।

10- मोहनलाल पुत्र स्व० श्री सुवा जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

11- श्रीमती राजू देवी पुत्री स्व० श्री सुवा धर्मपत्नी श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी-आनन्दरामपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

12- मैसर्स सिल्वर लेक रिसोर्ट्स प्रा०लि० जरिये निदेशक श्री वी.पी.जी पन्नकर, 360 हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड, टोंक रोड, जयपुर।

13- राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रारुपिक रेस्पोडेंट्स

उपस्थित विद्वान अभिभाषक

श्री हेमन्त सोगानी अपीलार्थीगण की ओर से

श्री गोगराज चौधरी व सुरेंद्र सिंह शेखावत रेस्पो. संख्या 1, 3 व 5 की ओर से

पैरोकार सरकार

राजस्व अपील प्राधिकारी

अन्य रेस्पो० संख्या 2, 4, 6 ता 12 अनुपस्थित

अपील संख्या 1745/2025/टीनेन्सी एक्ट/जिला जयपुर

14- धापू देवी पुत्री स्व. श्री किशोरीलाल धर्मपत्नी स्व. श्री मदनलाल जाति बागडा ब्रह्मग्रहमण निवासी-तीतरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर।

15- रामस्वरुप पुत्र स्व. श्री कमला दोहिता स्व. श्री किशोरीलाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी नाहरिया का बास, पोस्ट चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर।

16- श्रीमती ज्योति शर्मा पुत्री स्व. श्री कमला देवी दोहिती स्व. श्री किशोरीलाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी मोहनपुरा वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1- श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसहाय

2- श्री मदनलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसहाय

3- श्री बालूराम शर्मा पुत्र स्व. श्री रामसहाय

4- मु. शांति देवी बेवा स्व. श्री गोपी

5- कालू उर्फ कैलाश पुत्र स्व. श्री गोपी

समस्त जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

6- श्रीमती नाथी देवी पुत्री स्व. श्री गोपी धर्मपत्नी श्री सीताराम जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बाडा पदमपुरा, पोस्ट शिवदासपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

7- श्रीमती मूली देवी पुत्री स्व. श्री गोपी धर्मपत्नी श्री लालचन्द जाति बागडा ब्राहमण निवासी-ग्राम मलवा, पोस्ट शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स / वादीगण

8- मोहनलाल पुत्र स्व. श्री सुवा जाति बागडा ब्राहमण निवासी-ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

9- श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व. श्री हनुमानसहाय पुत्री स्व. श्री सुआ

10- कैलाश पुत्र स्व. श्री सुआ

11- प्रभु पुत्र स्व. श्री सुआ

12- श्रीमती राजू देवी पत्नी सीताराम पुत्री स्व. श्री सुआ जाति बागडा ब्राहमण निवासीयान ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

13- राधेश्याम

14- मदनलाल

पुत्रान स्व. श्री रामप्रताप, जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी 338, हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड. जयपुर।

15- मैसर्स सिल्वर लेक रिसोर्ट्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री वी.पी.जी पन्नकर, 360 हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड, टोंक रोड, जयपुर।

16- राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

...प्रारुपिक रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

निर्णय

दिनांक:- 20/02/2026

विद्वान अभिभाषक उपस्थित

1. श्री घीसालाल कुमावत, अपीलार्थीगण अभिभाषक
2. श्री गोगराज चौधरी व सुरेंद्र सिंह शेखावत रेस्पो. संख्या 1, 3 व 5 की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर दिनांक 09/09/2025

उक्त दोनों अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अंतर्गत न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय के निर्णय दिनांक 09/09/2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09/09/2025 के विरुद्धअपीले प्रस्तुत की गयी, जिसके सन्दर्भ में अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने बहस करते हुये निवेदन किया कि वादीगण/रेस्पोडेंट्स भूमि वादग्रस्त के खातेदार काबिज काश्तकार नहीं है और वाद-पत्र में ऐसे कोई अभिवचन अंकित ही नहीं हैं जिनके आधार पर वादीगण को भूमि वादग्रस्त का खातेदार कृषक माना जा सकता हो और अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को भूमि विवादग्रस्त का खातेदार काश्तकार घोषित किया है तथा यह भी निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (43) के अंतर्गत कृषक उस व्यक्ति को परिभाषित किया गया है जिसे लगान अदा करने की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संविदा हो और उप-कृषक को धारा 5 (41) को समानान्तर रुप से परिभाषित किया गया है तथा यह भी अंकित किया कि वादीगण ने अपने वाद-पत्र में वादीगण के पिता बाछूराम व रघुनाथ का कब्जा काश्त होना अंकित करते हुए यह जाहिर किया कि बाछूराम का 38 वर्ष पूर्व तथा रघुनाथ का देहान्त हो जाने के पश्चात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 भूमि वादग्रस्त पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं और यह भी अंकित किया कि कौन व्यक्ति भूमि विवादग्रस्त का खातेदार कृषक था और किस व्यक्ति ने उक्त भूमि वादीगण को काश्त हेतु बतलाई इसका वाद-पत्र में कोई उल्लेख ही नहीं है एवं वाद कारण का कोई उल्लेख नहीं किया तथा वादीगण ने जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं उसमें से खसरा गिरदावरी में भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण का कब्जा अंकित नहीं है और जो लगान रसीदें प्रस्तुत की है उनमें कोई खसरा नम्बर अंकित ही नहीं है जिनके आधार पर यह माना जा सकता है कि उनके द्वारा भूमि विवादग्रस्त का लगान वादीगण द्वारा अदा किया गया हो। अन्यथा भी किसी अन्य भूमि का लगान अदा कर देने मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति को सम्बन्धित भूमि पर खातेदार कृषक होना नहीं माना जा सकता है। राजस्व भू-अभिलेखों में ग्राम बीलवा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 701, 703, 709 प्रतिवादी संख्या । सुआलाल पुत्र बालूराम के नाम खातेदारी दर्ज है। रजिस्टर्ड चकबंदी निजामत सवाई जयपुर में उक्त भूमि खसरा नम्बर 588,691 व 593 थे और प्रतिवादी संख्या 1 के पिता बालू पुत्र ठाकरसी हिस्सा 3/4 व काना पुत्र नानगा हिस्सा 1/4 खातेदार कृषक के रुप में दर्ज था। उक्त भूमि के बंदोबस्त सम्वत 2004 लगायत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2023 में खसरा नम्बर 701, 703, 709 बने तथा हाल बंदोबस्त में नवीन खसरा नम्बर 826, 827 व 828, 846, 847 व 901 बनाये गये जिनकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 सुआ के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 सुआ पुत्र बालू ने कभी वादी एवं उनके हक पूर्वाधिकारियों को उप-कृषक नहीं रखा स्वयं वादीगण ने जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं उनमें सुआलाल पुत्र बालूराम का नाम कृषक के रुप में दर्ज है तथा यह भी निवेदन किया कि वादीगण का भूमि वादग्रस्त की खातेदारी तथा कब्जा काश्त से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा है प्रतिवादी पक्ष ने अपनी ओर से दसतावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रसतुत कर अपनेआप को भूमि विवादग्रस्त का वास्तविक खातेदार व काबिज काश्त होना साबित किया है जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर निर्णय एवं डिकी पारित की गयी है। वादीगण ने तथाकथित एडवर्स पजेशन के आधार पर अपनेआप को भूमि विवादग्रस्त का खातेदार कृषक होना क्लेम किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के किसी प्रावधान के आधार पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकने का कोई प्रावधान नहीं है तथा यह भी निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 13, 15 व 19 के अलावा अन्य किसी प्रावधान में खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं और एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत अपने को वादीगण की भूमि विवादग्रस्त का खातेदार काश्तकार होना जाहिर किया। वादीगण ने यद्यपि सुआलाल को टीनेन्ट इन चीफ होना स्वीकार नहीं किया परन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी में वर्ष 1939 के पूर्व से सुआलाल के पिता बालू का नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादीगण धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है तथा धारा 15 के तहत किसी काश्तकार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा सकता है परन्तु उसके लिये वादीगण के लिये वाद-पत्र में स्पष्ट अंकित करना व साक्ष्य से साबित करना आवश्यक होता है और अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 के अपने निर्णय में वादीगण को भूमि विवादग्रस्त का उप-कृषक मानते हुए दिनांक 17/05/1996 की अधिसूचना के आधार पर वादीगण के दावे को डिक्री किया गया है तथा खसरा गिरदावरी प्रदर्श-3 के संदर्भ में यह अंकित किया कि उसमें जागीरदार के रुप में भौरीलाल का नाम अंकित कर पैरा संख्या 8 में काश्तकार के रुप में बाछू का नाम अंकित किया गया है वास्तव में वह नाम बालू है। जो प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हैं तथा प्रदर्श 72 विद्वान न्यायालय का निर्णय है जिस कृषि भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा के वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होता है अन्यथा भी उक्त निर्णय में मौजूदा वादीगण के तथाकथित कब्जे की कोई फाइंडिंग नहीं है और प्रार्थीगण/वादीगण भूमि विवादग्रस्त पर वास्तविक रुप से बतौर खातेदार कृषक है ओर इसी आधार पर उन्होने दिनांक 27/07/1997 को विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 4 मैससै सिल्वर लेक रिसोर्ट्स के पक्ष में तहरीर कर पंजीकृत करवाया है। उक्त दिनांक को प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई अस्थायी निषेधाज्ञा नही थी। जिसके आधार पर पंजीकृत विक्रय-पत्र को अवैध माना जा सके। सम्पति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 किसी भी अवस्था में किसी पंजीकृत विक्रय-पत्र को अवैध करार नही देती प्रावधान मात्र यह है कि केता को विक्रेता से अधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और ऐसे हस्तांतरण से वादीगण के अधिकार अन्यथा प्रभावित नहीं होते हैं और भूमि विवादग्रस्त पर वादीगण के कोई खातेदारी अधिकार व वास्तविक कब्जा ही नहीं है जो अधिकार धारा-52 मात्र के आधार पर प्राप्त नहीं हो

राजस्व अपील प्राधिकारी

सकते हैं एवं अतिरिक्त तनकी सख्या 3 का निर्णय वादीगण के पक्ष में करते हुए निर्णय एवं डिकी पारित की गयी जो न्यायसंगत नहीं है और साथ में लिखित बह प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काशकारी अधिनियम, 1955 व सुसंगत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित किया है तथा न्यायिक दृष्टांतों को भी नजरअंदाज करते हुए निर्णय एवं विक्री पारित की है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवाइज निर्णय पारित नहीं किया गया इसलिये भी अवैध निर्णय एवं डिकी पारित की है जो खारिज फरमायी जावे और अपील में उद्धरित तथ्यों को ही अपनी बहस में अंकित किया है।

वकील रेस्पोडेंट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने जो वाद-पत्र प्रस्तुत किया है उस पर न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजात व विधि के सुस्थापित प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद-पत्र एवं अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं उन सब का अवलोकन करने तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा व प्रस्तुत दस्तावेजातो का भी गहनतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है केवलमात्र वादीगण / रेस्पोडेंट को हैरान-परेशान करने के उदेश्य से अपील प्रस्तुत की गयी है और उक्त अपील में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किये हैं जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय एंव डिकी में विधि एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया हो क्योंकि अपील में अनुतोष यह चाहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 09/09/2025 को निरस्त फरमायी जावे और अपने लिखित बहस में वाद-पत्र को खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है तथा अपीलार्थीगण ने सभी पक्षकारों को अपील में पक्षकार भी नहीं बनाया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण के द्वारा केवलमात्र रेस्पोडेंट्स/वादीगण को हैरान-परेशान करने के उदेश्य से अपील प्रस्तुत की गयी है। राजकीय पैरोकार द्वारा भी उक्त प्रकरण में बहस की गयी है जिन्होने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत मानते हुए यह निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी को खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत रूप से विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | तनकी संख्या 1 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी-3 का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम बीलवा जागीर का ग्राम था तथा उक्त ग्राम के जागीरदार भौरीलाल वगैरह के नाम पट्टी पटेल कॉलम संख्या 4 में अंकित है | सम्वत 2006 की खसरा गिरदावरी के कॉलम संख्या 8 में काश्तकार के बतौर बाछू का नाम अंकित है, इससे स्पष्ट होता है कि उक्त प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार वादीगण के हक़-पूर्वाधिकारी रहे है एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 से 2011 के विशेष विवरण में रघुनाथ, बाछू पुत्र रामनारायण कौम बागडा

राजस्व अपील प्राधिकारी

ब्राह्मण अंकित है तत्पश्चात रघुनाथ वगैरह का नाम अंकित है, जिसमे बसदर खसरा नम्बर 701 अंकित है | उक्त दस्तावेजात के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 व 2013 में भी रघुनाथ बाछू पिता रामनाथ का नाम अंकित है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 लगायत 2015 में भी रघुनाथ, बाछू पुत्रान रामनारायण का नाम बदस्तूर अंकित चला आ रहा है तत्पश्चात उक्त खसरा गिरदावरीयो में वादीगण का नाम अंकित है | चूंकि यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सम्वत 2012 में प्रभाव में आया और राजस्थान भूमि सुधार पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 सम्वत 2009 में प्रभाव में आया और राजस्थान भूमि सुधार पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 2-जे में जागीर भूमि के सम्बन्ध में यह अंकित किया गया है कि ऐसी कोई भी भूमि अभिप्रेत है जिसके सम्बन्ध में कोई जागीदार भू-राजस्व या किसी अन्य प्रकार की आमदनी सम्बन्धित अधिकार रखता है उसके अंतर्गत प्रथम अनुसूची में विर्निदिष्ट भौमिक अधिकारों में से किसी पर भी धारित कोई भूमि आती हैं पत्रावली पर प्रस्तुत खसरा गिरदावरी समवत 2005 के कॉलम में पट्टी के रुप में भौरीलाल वगैरह का नाम अंकित है अर्थात उक्त भूमि जागीर भूमि है तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा 2-त में शिकमी काश्तकार से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी काश्तकार से भूमि धारण करता है एवं धारा 2-थ ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा किसी जागीर भूमि के सम्बन्ध में अभिव्यक्त विवक्षित किसी संविदा के अभाव में लगान संदेय है या होगा और अन्यथा अभिव्यक्त रुप से उपबंधित के सिवाय शिकमी काश्तकार भी इसके अंतर्गत आता है। किंतु नियत वर्षों की अवधि के लिये कोई पट्टेदार इसमें सम्मिलत नहीं है अर्थात प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श-ए-1, प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्टर्ड चकबंदी सम्वत 1994 से 2003 तत्कालीन विधि के अनुसार खालसा गांव पर लागू होती है तथा जयपुर टीनेन्सी एक्ट 1945 खालसा ग्रामों के सम्बन्ध में लागू होता है और तत्पश्चात के प्रस्तुत खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2004 लगायत 2023 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम 1952 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व जयपुर टीनेन्सी एक्ट 1945 का सम्मिलत रुप से अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त ग्राम जागीर का ग्राम है तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि जागीरदार/पट्टी या पटेल भौरीलाल के नाम अंकित थी और वादी ने अपने वाद एवं तनकीयात को साबित करने के लिये जो दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये हैं उनसे स्पष्ट होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 की श्रेणी में आता हैं जहां तक जमाबंदियों व खसरा गिरदावरियों एवं तत्कालीन जयपुर स्टेट में बने रिकॉर्ड के अनुसार खसरा गिरदावरियों को कानूनन रिकॉर्ड ऑफ राइट माना है एवं उक्त दस्तावेज वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये हैं जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा प्रदर्श-72 का अवलोकन करने से भी स्पष्ट है कि सुवा के पुत्र मोहनलाल द्वारा अपने पिता के विरुद्ध व वादीगण के विरुद्ध वर्ष 1997 में दावा बाबत तकासमा सम्पत्ति व स्थाई निषेधाज्ञा माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम संख्या-2 जयपुर जिला जयपुर दीवानी वाद संख्या 7/1997 उनवानी मोहनलाल बनाम सुवालाल व अन्य प्रस्तुत किया जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम संख्या-2 जयपुर जिला जयपुर द्वारा दिनांक 21/12/2015 को निर्णय पारित किया गया कि विवादित भूमि मोहनलाल पुत्र सुवा के कब्जे में नहीं है तथा प्रतिवादी सुवा का भी कब्जा नहीं है। उक्त प्रकरण में वादीगण / रेस्पोडेंट का कब्जा मानते हुए मोहनलाल पुत्र सुवा का दीवानी वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी

खारिज फरमा दिया गया था और प्रस्तुत प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर वादीगण / रेस्पोडेंट्स ही काबिज काश्त हैं तथा वादीगण द्वारा उप-कृषक के रुप में खातेदारी अधिकारों के लिये अधिसूचना संख्या प.5 (6) राज.6/92/ दिनांक 17.05. 1996 राज.*GAZ.exty.pt.*4-*C*(2) *date* 23-05-1996 *p* 37 दिनांक 30.06. 1995 से बढाकर 30.06.1997 तक उप कृषक को दावा दायर करने के लिये अधिकार प्रदान किये गये एवं वादीगण का दावा दिनांक 30/06/1996 को प्रस्तुत किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार है। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 180 (1) (घ) के अनुसार यदि उक्त राजस्व ग्राम बीलवा खालसा ग्राम होता तो अवश्य ही धारा 180 के अनुसार कार्यवाही की जाती परन्तु उक्त गांव कभी खालसा ग्राम नहीं रहा उक्त ग्राम जागीर का ग्राम था इसलिये विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण के द्वारा यह तथ्य साबित ही नहीं कर पाये कि उक्त ग्राम खालसा ग्राम है या जागीर ग्राम है। जबकि पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात व वादीगण/रेस्पो. अभिभाषक ने अपने वाद-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि उक्त राजस्व ग्राम बीलवा जागीर का ग्राम था और उक्त वादग्रस्त भूमि के जागीरदार भौरौलाल था जिसके वादीगण के हक पूर्वाधिकारी खातेदार काश्तकार थे जिससे नियमित रुप से लगान अदा किया जा रहा था ऐसी स्थिति में शेष तनकीयात को निस्तारित करने से पूर्व तनकी संख्या 1 वादीगण/रेस्पोडेंट के पक्ष में पूर्ण रुप से साबित थी। शेष तनकीयात को जिम्मे वादीगण हैं। जो तनकी संख्या 2, 3, तथा अतिरिक्त तनकी संख्या 1, 2 व 4 व 5 पूर्णतया वादीगण /रेस्पोडेंट के पक्ष में साबित है। इसलिये शेष तनकीयात को पुनः दोहराया नहीं जा रहा है।

अतिरिक्त तनकी संख्या नम्बर 3 आया वाद लम्बन काल के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 27.08.1997 के द्वारा मैसर्स सिल्वर लेक रिसोर्ट प्रा.लि. कम्पनी को कर दिया जो वादी के अधिकारों के प्रति प्रारंभ से ही प्रभावहीन है।

- जिम्मे वादीगण

वादीगण/रेस्पोडेंट ने उक्त तनकी को साबित करने के लिये यह स्पष्ट किया कि दिनांक 30/10/1996 को वाद प्रस्तुत कर दिया था और साथ ही प्रस्तुत आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा में दिनांक 30/10/1996 को भूमि विवादग्रस्त का विक्रय और हस्तांतरण नहीं करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद फरमा दिया और आगामी तारीख पेशी दिनांक 20/11/1996 नियत की गयी और दिनांक 16/07/1997 को प्रतिवादी संख्या 1 की तामील होने के पश्चात उनकी ओर से उनके मुख्तयारआम प्रभुदयाल हाजिर अदालत आए तत्पश्चात दिनांक 27/08/1997 को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय किया गया है जो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1982 की धारा 52 के अंतर्गत लिस पेन्डेन्सी की श्रेणी में आता है और न्यायालय द्वारा जब वादीगण का वाद डिक्री फरमा दिया गया तो उस स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये विक्रय-पत्र स्वत ही प्रभावशून्य हो गये हैं क्योंकि यदि वादीगण का वाद खारिज किया जाता तो प्रतिवादी संख्या 4 के विक्रय-पत्र पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाता इसलिये उक्त तनकी को भी वादीगण/रेस्पोडेंट ने पूर्णतया साबित किया है और न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उक्त निर्णय से वादीगण व प्रतिवादीगण पाबंद है। शेष आपत्तियां लिखित बहस में जो प्रस्तुत की गयी हैं उक्त आपत्तियां अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा नहीं की गयी है व अब नये सिरे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

से उक्त आपत्तियां / तथ्य जारी करना न्यायोचित नहीं है। क्योकि प्रतिवादीगण / अपीलार्थीगण अपने जवाब दावे के विपरीत अपनी अपील में तथ्य अंकित किये है। इसलिये शेष तनकीयात पर न्यायालय विचार करना उचित नहीं समझता है।

अपील संख्या 1541/2025 में रेस्पो. के अभिभाषक द्वारा एक आवेदन धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर पत्रावली संख्या 1745/2025 के सम्बन्ध में निवेदन किया गया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 14/10/2025 को अपील संख्या 1745/2025 को अन्य अपील संख्या 1541/2025 बउनवानी प्रभुदयाल बनाम श्रवण कुमार के साथ हमफीता किया गया था जिसके सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिनांक 04/02/2024 को आदेश पारित कर यह स्पष्ट किया कि हमफीता अपील संख्या 1745/2025 में धारा 96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना-पत्र में भी उभयपक्षों की बहस सुनी जाना उचित समझा जाता है। अतः अपील संख्या 1541/2025 प्रार्थना-पत्र धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनने के पश्चात हमफीता पत्रावली संख्या 1745/2025 में धारा 151 सीपीसी निस्तारित करते हुए धारा 96 जाप्ता दीवानी की बहस हेतु नियत किये जाने के आदेश पारित किये गये अर्थात अपील संख्या 1745/2025 में प्रस्तुत धारा 96 जाप्ता दीवानी पर बहस सुनी गयी। वादी संख्या 2 किशोरीलाल अपीलार्थी संख्या 1 के पिता एवं अपीलार्थी संख्या 2 व 3 के नाना थे किशोरीलाल का स्वर्गवास होने के बाद वादी संख्या 1 व 3 के उत्तराधिकारीगण अनुचित एवं अवैध रुप से किशोरीलाल का नाम हजफ करवाकर निर्णय एवं डिकी पारित करवायी है जबकि अपीलार्थीगण मृतक किशोरीलाल के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। निर्णय एवं डिकी अधीन अपील में अपीलार्थीगण का 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा भी वादी संख्या 1 व 3 के उत्तराधिकारियों ने अपने नाम से करवा ली है जिससे अपीलांट्स के अधिकार प्रभावित हुए हैं जबकि रेस्पो. के विद्वान अभिभाषक ने जवाब मय आपत्ति प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के पूर्वज किशोरीलाल उर्फ किशोर उर्फ रामकिशोर पुत्र बाछू ने उक्त भूमि व अन्य कृषि भूमि में अपने हिस्से का रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 07/08/2003 को रेस्पो० संख्या 1 ता 3 के हक में उप पंजीयक जयपुर द्वितीय के समक्ष निष्पादित करवा दिया जिससे किशोरीलाल उर्फ किशोर उफ रामकिशोर पुत्र बाछू के स्वर्गवास के बाद रेस्पो० संख्या 1 ता 3 उक्त भूमि के एकमात्र मालिक स्वामी काबिज जायदाद हुए तथा अपीलार्थी संख्या 2 व 3 की माता ने अपने जीवनकाल में किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की तथा उक्त प्रकरण की अपीलार्थीगण को प्रारंभ से ही जानकारी रही है अपीलार्थी संख्या 1 के पुत्र जितेन्द्र कुमार द्वारा एक वाद सिविल न्यायालय में उनवानी जितेंद्र कुमार बनाम किशोरीलाल व अन्य सन 2004 से किशोरीलाल की सम्पूर्ण भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जिससे अपीलार्थीगण को उक्त भूमि एवं उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी रही है जिससे अपीलार्थीगण आदेश 2 नियम 2 सीपीसी से वर्जित है तथा अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में सभी व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे भी अपीलार्थीगण की अपील खारिज होने योग्य है। उक्त विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 96 सीपीसी पर बहस सुनी जाने के बाद न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया जाता है कि अपीलार्थीगण को उक्त वाद की जानकारी प्रारंभ से ही रही है तथा अपीलार्थी संख्या 1 के पुत्र द्वारा सन 2004 में ही किशोरीलाल की सम्पूर्ण भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत करने व अपीलार्थी संख्या 2 व 3 की माता कमला देवी द्वारा अपने जीवनकाल में कोई चाराजोही नहीं करने से यह साबित है कि अपीलार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी

द्वारा अपने अधिकार आदेश 2 नियम 2 सीपीसी के तहत उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपने अधिकार त्याग दिये हैं तथा उक्त अपील से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण व रेस्पो. संख्या 9 ता 11 ने आपस में दुरभिसंधि करते हुए वादीगण/रेस्पोडेंट को अपने अधिकारों से वंचित करने के लिये उक्त अपील प्रस्तुत की है जिससे इन्हीं आधारों पर धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय एवं डिकी त्रुटिपूर्ण नहीं होने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील संख्या 1541/2025 अस्वीकार की जाती है तथा अपील संख्या 1745/2025 धारा 96 सीपीसी मय अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी दिनांक 09/09/2025 यथावत रखी जाती है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित लौटायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर